FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (SDO) (नियम 26)

जायल

अज अदालत .... मुकाम ....

धनाराम .... बनाम हुकमाराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा रा० का० 111/128 RLRAct न. 104/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/05/19 को पेश हो।	
06/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/05/19 को पेश हो।	
21/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:22:29 IST
Reason: SelfAttested

10/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण कागजात तामील अनुपस्थित। तामील पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 26/08/19 को पेश हो।

26/08/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। तामील पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 10/12/19 को पेश हो।

10/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत लेहा तिक आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच डोले पर जो पुरानी कच्ची पत्थर मार्ड व कटो आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिस कारण बरसात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने के लिए नैयमबन्दी करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थी का नैयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैयमबन्दी आदेश किया जावे जिसमें तहसीलदार शामिल रहे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू०अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नैयमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से फैसल हो, दाखिल दफ्तर हो।

10.12.19

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:22:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 978 दिनांकः– 10/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धनाराम पुत्र रानाराम वगैरा जाति जाट निवासी चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. हुकमाराम पुत्र पन्नाराम वगैरा निवासी चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा होलोणी के खेत खसरा नम्बर 130, 187, 203 रकबा 10.00, 35.09, 32.00 बीघा व मौजा अम्बेडकर नगर के खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 23.00 बीघा पटवार हल्का चीबी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

10.12.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 979–83 दिनांकः– 10/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी चीबी को भेजकर लेखं है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री धनाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री हुकमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

10.12.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:22:29 IST
Reason: SelfAttested